न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 888/2022

अनवान : –

1. शारदा पुत्री अजमेरसिंह पत्नी नन्दराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री अजमेरसिंह पत्नी बंशीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. बेबी पुत्री अजमेरसिंह पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

–वादीयान

बनाम्

1. कृष्णा पत्नी अजमेरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. बिरखा देवी पुत्री अजमेरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. सन्तोष पुत्री अजमेरसिंह पत्नी होशियारसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
4. बतेरी पुत्री अजमेर सिंह पत्नी पूर्णमल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदार अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/12/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 9 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 3/3 की कुल 6.3250है0 भूमि में से 1583/12650 हिस्सा भमि वादीयान मृतक पिता अजमेरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अजमेरसिंह पुत्र घड़सीराम के नाम दर्ज है। जो वादीयान का पिता है। अजमेरसिंह पुत्र घड़सीराम का देहान्त हो चुका है। अजमेरसिंह पुत्र घड़सीराम के जायज वारिसारन [illegible] अनुसार वादीयान व प्रतिवादी गण स0 1

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:44 IST
Reason: SelfAttested

ता 4 है अजमेरसिंह पुत्र घड़सीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 1 वादीयान की माता है तथा प्रतिवादीयान स0 2 ता 4 वादीयान की बहिनें है जो कि उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीयान के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। इसलिए वाद भूमि वादीया स0 1 ता 3 का बराबर हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकरी है।

वादीयान ने प्रतिवादी गण को काफी मर्तबा कहा कि वादीयान के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीयान का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की अजमेरसिंह जो वादीयान का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया स0 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकार है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने ने जरिये अधिवक्ता दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादीयान के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया। वाद के समर्थन में अधिवक्ता वादीयान द्वारा रोही मौजा 6 डीपीएन जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 खाता स0 3/3 ईएक्सपी–1, रोही मौजा 6 डीपीएन ज़मांबदी सम्वत् 2071–2074 खाता स0 3/3 ईएक्सपी–2, शपथ पत्र बाबत् वारिसान ईएक्सपी–3, मृत्यु प्रमाण पत्र अजमेरसिंह ईएक्सपी–4, तस्दीक वारिसान प्रमाण पत्र ईएक्सपी–5 आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीयान ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीयान की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय़ से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीयान व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 1 वादीयान की माता है तथा प्रतिवादीयान स0 2 ता 4 वादीयान की बहिनें है जो कि उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीयान के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। तथा वादीयान के वाद को प्रतिवादीगण 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीयान के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीयान का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 9 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 3/3 की कुल 6.3250है0 भूमि में से 1583/12650 हिस्सा भमि वादीयान के मृतक पिता अजमेरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीया स0 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक अजमेरसिंह के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीया स0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश कर अर्ज किया है यदि वाद वादीयान मुताबिक इस्तदुओं डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादीयान के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का एतराज नंही होने व वादीयान के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीयान स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 3/3 के प0न0 413/447 (37) के किला न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 6.3250 है0 भूमि में से 1583/12650 हिस्सा भमि वादीयान के मृतक पिता अजमेरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में मृतक अजमेरसिंह पुत्र घड़सीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया स0 1 शारदा, वादीया स0 2 सुमन, वादीया स0 3 बेबी को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:44 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 888/2022

अनवान : –

1. शारदा पुत्री अजमेरसिंह पत्नी नन्दराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री अजमेरसिंह पत्नी बंशीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. बेबी पुत्री अजमेरसिंह पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

–वादीयान

बनाम्

1. कृष्णा पत्नी अजमेरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
2. बिरखा देवी पुत्री अजमेरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
3. सन्तोष पुत्री अजमेरसिंह पत्नी होशियारसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
4. बतेरी पुत्री अजमेर सिंह पत्नी पूर्णमल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।
5. अंजु पुत्री रोहिताश जाति जाट निवासी 9 केएनएन तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व पेरोकार राज अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 3/3 के प0न0 413/447 (37) के किला न0 1 ता 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 6.3250 है0 भूमि में से 1583/12650 हिस्सा भमि वादीयान के मृतक पिता अजमेरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मृतक अजमेरसिंह पुत्र घड़सीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया स0 1 शारदा, वादीया स0 2 सुमन, वादीया स0 3 बेबी को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:44 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:35:44 IST
Reason: SelfAttested